

आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं०-83/2018



तारीखरजु-04.07.2018

निर्णय दिनांक-

उपनाम- शिवदयाल आदि बनाम रामेश्वर बगै०

दाया बायत भूमि विभाजन स्थाई निवेदाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राज० टे० एक्ट

तारीख	फर्द अहवाल	
07.2018	<p>घादी जी और से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट एवं वैणीगणपद पारीक ने दाया बायत स्थाई निवेदाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज० टे० एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अहलीकन किया गया। दाया पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मान तलब कर पत्रावली दिनांक 03.08.2018 को को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	<p style="text-align: right;">2530-36 4/7/18</p> <p style="text-align: right;">Rao 7 2 819</p>
<u>3-8-18</u>	<p>घादी पत्रील उप. / प्रतिवादी नं. 1, 5, 6, 7, समस्त सूपरा उप. नही / प्रतिवादी नं. 2, 3, 4 के सम्मान तलब तप्रील जल्ल उपर है। P.O सख्खा पर रिजल की आर्गिडा दि० 31.8.18 को पेश हो।</p>	
<u>31-8-18</u>	<p>घादी पत्रील उप. / प्रतिवादी नं. 1, 5, 6, 7 के विकल एक पत्रील कार्यवाही के आदेश दि० जाते है प्रतिवादी नं. 2, 3, 4 के रिजि 18 सम्मान तलब बना 7 दिवस में पेश को / वालि तपनी दिनांक 28-8-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>	

दिनांक

घट अहकाम

12-6-19

वादी वकील उप.। उतिवारी नं. 2, 3, 4 के नवीन वरुगपते  
पर रजि. 110 हासन गलपना चेडा कर तलवी इरोवे। दि. 15.7.19 को चेडा हो।



15-7-19

वादी वकील उप.। गालगुसार तलवी करोन दिनांक 18.11 को  
पेडा हो।



18-19

वादी वकील उप.। वादी वकील मे मुकदमा हागे नही चलमे  
या कपल कर Not Press कर खादिज जिमे जेने का निवेद  
किमा। वादी वकील द्वारा Not- Press किमे जेनेसे पह  
दाका खादिज किमा जाता है। फवाबली कैसल गुमार होकर  
जम्बोले वग होकर दाखिल नफर हो।

  
उपमिता कलक्टर  
रोडभीम (करोली)